ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति

(राड्स) रानीचौरी,टिहरी गढ़वाल

Annual - Report
Year-2010-2011

पताः– पोस्ट बैग नम्बर–06,रानीचौरी
टिहरी गढ़वाल,उत्तराखण्ड़ ।
दूरभाष :– 01376-252229(O)252404
Emailradsgramin@yahoo.co.in

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा 2010–11 में चलाई गई परियोजनायें व कार्यक्रम

1. हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना,पनियाला,
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम।
3. आई0 जी0 एस0एस0 एस0 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण व कार्यबोझ कम करने हेतु कार्यक्रम।
4. एडस टी0 आई0 परियोजना।
5. आर0 सी0 एच0 परियोजना।
6. जिला विकलॉग एवं पुनर्वास केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम
7. विकलॉगों हेतु एडिप परियोजना।
8. पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।
9. सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम।
10. राडस प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन।
11. स्वजल परियोजना सेक्टर कार्यक्रम
12- सडक सुरक्षा कार्यक्रम।
13- ग्रामीण निर्मिति केन्द्र
14. जैविक उत्पाद परिषद।
15- बकरी पालन।
16- मानसिक विकलॉग कैम्प सेवा टी0एच0डी0सी0 लिमिटेड।
17- नॉबार्ड द्वारा वित्त पोषित बैणियौं की सौगात दुकान।
18. आईसीएमएटी के सहयोग से राजमिस्त्रियों नवीन भूकम्परोधी मकान बनाने का प्रशिक्षण।
19- विकलॉग विश्राम गृह।

हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना

आजिविका परियोजना संस्था द्वारा जनपद टिहरी के प्रतापनगर ब्लाक के न्याय पंचायत पनियाला में चलायी गयी । जिसमें विभिन्न गतिविधियां सम्पादित कि गयी । जिनका विवरण निम्न प्रकार है

क्र सं		गतिविधि	सम्पन्न गतिविधि
1.0	संघ स्तरीय नियोजन		
	1.0	लक्ष्य समुदाय की अपेक्षाओं को समझते हुए उनके साथ मिलकर दृष्टि निर्माण(vision building)सोच विकसित करना एवं गतिविधियों को चिन्हित करते हुए समयबद्ध योजना तैयार करना।	1.स्वायत्त सहकारी अधिनियम 2003 के अन्तर्गत रौणद रमोली स्वायतः सहकारी समिति का गठन किया गया व फैडरेशन के माध्यम से निम्न कार्यक्रम सम्पन्न कराये गये। गया। 2 फेडरेशन द्वारा लगभग 1लाख 20 हजार रू0 का साझा फण्ड जमा किया गया है व तीन अन्य फेडरेशन का साझा फण्ड जमा करने हेतु कार्य किया जा रहा है। 3.फेडरेशन द्वारा 5 उत्पादक समूह गठित किये गये है। 4. फेडरेशन में 5गतिविधि समूह गठित किया जा रहे है। 5.फेडरेशन द्वारा क्षेत्र में शराब आन्दोलन के साथ–साथ

	1.2	फेडरेशन के कार्यालय संचालन हेतु सम्बन्धित कलस्टर के समूह प्रेरक की सचिव के रुप में सेवाऍ लेना।	सम्पूण स्वच्छता अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। 6. संस्था द्वारा फैडरेशन के माध्यम से 10 बरसाती पानी के टैंकों का निर्माण करवाया गया। 6. समूह प्रेरक /प्रोत्साहक द्वारा सचिव के रुप में सेवाऍ देना प्रारम्भ किया जाना शेष है।
2.0	**फेडरेशन द्वारा की जाने वाली गतिविधियां**		
	2.1.1	जैविक खेती को बढावा देना	क. 50 प्रतिशत ग्राम जैविक खेती के अन्तर्गत चयन किये जा रहे है। ख. 80 प्रतिशत ग्रामों में जैविक प्रशिक्षण माड्यूल आयोजित किये जा रहे हैं।
	2.1.2	कीट नियंत्रण का फैलाव	क. 100 प्रतिशत ग्रामों में जैविक कीट नियंत्रण प्रशिक्षण दिये जा रहे है। ख. कलस्टर के ग्रामों में आई0पी0एम0 पद्धति को 50 प्रतिशत ग्रामों में 40 प्रतिशत परिवारों द्वारा अपनाया जा रहा है।
	2.1.3	स्वास्थ उन्नत बीज चयन एवं बीज लेन–देन	क. टमाटर, प्याज मटर, बीन, बैगन, कददू, आदि प्रजातियों के 1 कु0 स्वस्थ बीजों का चयन किया जा रहा है। ख. उपासक के साथ मिलकर 1 कु0 उन्नत स्वस्थ बीज परिवारों में लेन–देन किया जा रहा है। ग. 2 हे0 भूमि उन्नत स्वस्थ बीज के अन्तर्गत लायी जा रही है। घ. कलस्टर के 60 प्रतिशत परिवारों द्वारा खरीफ में उन्नत स्वस्थ बीज का प्रयोग किया जा रहा है।
	2.1.4	मिट्टी का स्वास्थ्य	क. 40 प्रतिशत ग्रामों में 60 प्रतिशत परिवारों द्वारा मृदा परिक्षण करवाये जा रहे है। ख. सभी प्रकार के कम्पोस्ट के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे है।
	2.1.5	पशुपालन	क. 100 प्रतिशत ग्रामा में 100 प्रतिशत परिवारों को पशु पोषण सम्बन्धी जानकारी दी जा रही है। ख. 100 प्रतिशत ग्रामों में 100 प्रतिशत परिवारों को पशु बीमारीयों की रोकथाम सम्बन्धी जानकारी दी जा रही है। ग. 100 प्रतिशत ग्रामों में 100 प्रतिशत परिवारों पशु प्रजनन सम्बन्धी जानकारी दी जा रही है।
	2.1.6	सेवा प्रदाता	क. सेवा प्रदाता चयन किये जा रहे है व उनकी क्षमता वृद्धि की जा रही है।
	2.3	फेडरेशन के सदस्यों का क्षमता विकास	क. फेडरेशन के 55 प्रतिशत सदस्यों की योजना निर्माण करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ख. फेडरेशन के 60 प्रतिशत सदस्यों को विजन बिल्डिग करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग. फेडरेशन के 60 प्रतिशत सदस्यों को नेतृत्व विकास करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। घ. फेडरेशनके 100 प्रतिशत सदस्यों को विवादों का निपटारा करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ड. फेडरेशन के 100 प्रतिशत सदस्यों को कार्यों का अनुश्रवण दिया जा रहा है।
	2.4	फेडरेशन प्रबन्धन से सम्बन्धित सेवायें	क. लक्षित परिवारों के सक्रिय एवं अच्छे नेतृत्व क्षमता के प्रतिशत युवा पुरूष सदस्यों को फेडरेशन गवर्नेनस से जोडा जा रहा है।

			ख. फेडरेशन के 100 प्रतिशत सदस्यों को जेन्डर समानता तथा पर्यावरण से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
	2.5	अभिसरण	क. फेडरेशन द्वारा 5सरकारी व अन्य योजनाओं से 20ग्रामों को जोडा जा रहा है। ख. 2 फेडरेशन का पंचायत के साथ तालमेल किया जा रहा है।
3.0	**जल एवं जंगल से सम्बन्धित कार्य**		
	3.1	सामुदायिक भूमि/वन पंचायत भूमि पर समुदाय की आजीविका संवर्द्धन हेतु गतिविधियां करना	क. 6 पंचायती वनों में 12 हे0 क्षेत्र में औषधीय व्यवसायिक वृक्षारोपण एवं उन्नत चाराघास रोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य करवाय जा रहा है। जिस हेतु 8 वन पंचायतों के माइक्रो प्लान बनाये गये। ख. 6पंचायती वनों 6 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण व घास रोपण का कार्य किया जा रहा है।
	3.2	समूहिक कृषि भूमि/व्यक्तिगत भूमि की चिरन्तर सिंचाई व्यवस्था की गतिविधयां करना व वर्षाजल के संग्रहण एवं उत्पादक गतिविधियों में उसका उपयोग सनिश्चित करवाना।	क. सामूहिक सिंचाई टैंक निर्माण हेतु ग्राम पिपलोगी में गतिविधि समूह का गठन किया गया है व प्रबन्धन हेतु अंशदान की व्यवस्था बिठाते हुए टैंक निर्माण किया जा रहा है। ख. 44 वर्षा जल संग्रहण टैंक बनवाये गये तथा उनको सब्जी उत्पादन/अन्य आयवर्द्धक उत्पादन से जोडा जा रहा है।
4.0	**मूल्य श्रृंखला से सम्बन्धित कार्य**		
	4.1	परियोजना क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु ग्रामीण समुदाय को तकनीकि जानकारी उपलब्ध कराना व उद्यमों के सफल संचालन हेतु सहयोग प्रदान करना।	क. उपासक द्वारा चिन्हित किए गए सभी सब कलस्टरों पर उपासक द्वारा विकसित संकलित जानकारियों को गतिविधि समूह एवं उत्पादक समूह के सदस्यों को दी जा रही है। ख. उपासक द्वारा चिन्हित किए गए सभी सब सैक्टर में आर्थिक वर्गीकरण एवं जेण्डर के आधार पर निम्नलिखित गतिविधियां की जा रही है। • 60 प्रतिशत आर्थिक वर्गीकरण की श्रेणी 1,2,3 के व्यक्तियों को प्रशिक्षण किया जा रहा है। • 70 आर्थिक वर्गीकरण की श्रेणी 1,2,3 के उद्यम स्थापित किये जा रहे है। • 50 आर्थिक वर्गीकरण के श्रेणी 1,2,3, के परिवारों की रू0 1500 प्रतिशत माह आमदनी बढेगी। ग. 2 सेवा प्रदाता चिन्हित कर जिला प्रबन्धन इकाई/उपासक द्वारा प्रशिक्षित किये जा रहे है। घ. प्रदर्शन एवं अन्य क्षमता विकास कार्यक्रमों को आरम्भ करने से पूर्व लाभार्थी द्वारा रू0 1500 अंशदान व्यापार प्रोत्साहकों के साथ मिलकर जमा किया जा रहा है।
	4.2	फेडरेशन के स्तर पर बाजारों, प्रदर्शन तथा उद्यमों से संबंधित सूचना के रख–रखाव को सुनिश्चित करना।	उपासक के सहयोग से बाजार, प्रदर्शन तथा उद्यमों से संबधित सूचनाओं में cash flow & Balance Sheet को शामिल करते हुए स्वंय सहायता समूहों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
5.0	**स्वंय सहायता समूहों हेतु सूक्ष्म वित्त प्रणाली विकास**		
	5.1	स्वंय सहायता समूहों को परियोजना की ग्रेडिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत	क. शेष 19 स्वंय सहायता समूहों को सी0सी0एल0 की सुविधा दिलवानी है। 69 स्वंय सहायता

		सम्मिलित करते हुये उनकी वित्तीय प्रबन्धन क्षमता बढाने हेतु प्रोत्साहित करना।	समूह ने सी0सी0एल0 में प्राप्त रूप्यों को उत्पादक गतिविधियों में प्रयोग कर रहे है। ख. 82 स्वंय सहायता समूहों को सीड कैपिटल प्रदान की गयी है। ग. सीड कैपिटल प्राप्त लगभग 82 प्रतिशत स्वंय सहायता समूहों को सीड कैपीटल की द्वितीय किश्त प्रदान की गयी है तथा शेष को द्वितीय किस्त प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है।
	5.2	स्वंय सहायता समूहों के दस्तावेजों का समुचित रख–रखाव सुनिश्चित करना।	क. शेष 6 स्वंय सहायता समूह में सी0सी0एल0 हेतु प्रस्ताव समूह कार्यवाही पंजिका में लिखे गये है। ख. 78 समूह द्वारा सी0सी0एल0 धनराशी को समयबद्ध तरीके से लौटने एवं पुनः सी0सी0एल0 प्राप्त किया जा रहा है। ग. 50 प्रतिशत उद्यम एवं प्रदर्शन स्थल पर बैंकर्स का भ्रमण करवाया जा रहा है।
	5.3	F-NGO के कार्यकर्ता स्वंय सहायता समूहों की बैठकों में उपस्थित रहकर निम्नलिखित कार्य करेगें। 1 स्वंय सहायता समूहों के बही खातों के उचित रख–रखाव हेतु सेवा प्रदाता सी0आर0पी0 को तैयार करेगें।	क. 55 प्रतिशत स्वंय सहायता समूहों द्वारा अपने बही खाते का रखरखाव स्वंय किया जा रहा है एवं उनके द्वारा स्वंय ही बैठकें आयोजित की जा रही है। ख. 60 SHG खाते के रखरखाव हेतु सेवा प्रदाता का चयन किया जा रहा है।
6.0	**जेण्डर सम्बन्धित गतिविधियॉ**		
	6.1	फेडरेशन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।	क. लक्षित परिवारों में से कम से कम 100 प्रतिशत महिलायें संघों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।
	6.2	परियोजना द्वारा प्रदर्शित गतिविधियों–बर्मी कम्पोस्ट,घास नर्सरी विकास, उन्नत चारा घास रोपण, नांद निर्माण एवं उन्नत कृषि उपकरणों को अंगीकृत करवाना।	क. 85 प्रतिशत परिवारों द्वारा बर्मी कम्पोस्ट, तकनीक को अंगीकृत किया जा रहा है। ख. 50 प्रतिशत परिवार कम से कम एक चारा बचत तरीके को अंगीकृत कर रहे है।
	6.3	कार्य बोझ को कम करने के लिए चारा प्रबंधन , उन्नत कृषि यंत्र के प्रयोग तथा वर्मी–कम्पोस्टिंग जैसे हस्तक्षेपों से कलस्टर के तीन परियोजना ग्रामों को संतृप्त करते हुए आच्छादित करना।	▪ 20 प्रतिशत परिवारो को समृद्धि घडो का आंवटन ▪ 30 परिवारों को जीरो टिल हलो का आंवटन ▪ 30 परिवारों को स्प्रे मशीनों का आंवटन ▪ 50 परिवारों को वृक्ष मित्र हलों का आंवटन उपरोक्त गतिविधियों से 60 प्रतिशत परिवारों के प्रतिदिन 1–1/2 घण्टे समय की बचत की गयी है।
	6.4	ग्रामीणों को संगठित करना जिससे पालतू पशुओं को चारा, ईंधन, पत्तियॉ, खाद आदि जंगल से लाने हेतु साधा जा सके।	क. 15 पशुओं को साधा गया है। और 5 पशुओं को साधा जाने की प्रक्रिया चल रही है।
	6.5	समुदाय/परिवार स्तर पर विकसित परिसम्पति पर महिलाओं की पहुॅच व नियंत्रण सुनिश्चित करना।	समुदाय परिवार जो जमीन खरीदी जा रही जिमसें से 75 प्रतिशत जमीन महिलाओं के नाम से पंजिकृत की जा रही है। सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम मोटणा में विपणन भवन का निर्माण किया गया है। वह भवन महिलाओं द्वारा गठित फेडरेशन के नाम पंजिकृत है।
7.0	**क्षमता निर्माण**		
	7.1	स्वंय सहायता समूह, फेडरेशन, उत्पादक समूह तथा गतिविधि समूह के	क. 60 प्रतिशत 6 कार्यशाला 4 भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करना एवं उनकी रिपोर्ट जिला प्रबन्धन

		क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं का अलग–अलग आंकलन करना। क्षमता निर्माण की कार्य योजना बनाना और जिला प्रबंधन इकाई तथा उपासक के माध्यम से उसको कार्यान्वित करना।	इकाई को दी जा रही है। ख. 60 प्रतिशत समुदाय को विभिन्न कार्यक्रमों की समय से सूचना दी जा रही है। ग. 100 प्रतिश स्वंय सहायता समूह के सदस्यों हेतु उपासक के साथ मिलकर भ्रमण कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है।
	7.2	परियोजना द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल (स्वास्थ्य, आजीविका, जेण्डर, पंचायती राज, फेडरेशन लेन–देन आधारित माड्यूल आदि) को स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण देना।	• 89 स्वंय सहायता समूह में 512 चित्रमाला माड्यूल का क्रियान्विन किया गया। • 89 स्वंय सहायता समूह में 387 स्वास्थ्य माड्यूल का क्रियान्विन किया गया। 89 स्वंय सहायता समूह में 365 लेन–देन प्रशिक्षणों का क्रियान्विन किया गया।
	7.3	परियोजना ग्रामों के स्वंय सहायता समूहों को सहभागी मूल्यांकन करने हेतु सहयोग प्रदान करना।	क. 5 स्वंय सहायता समूहों के मध्य कम से कम अन्तर स्वंय सहायता समूह सहभागी स्वआंकलन अभ्यास किया गया है।
8.0	**अभिसरण (कनवर्जेन्स)**		
	8.1	फेडरेशन के माध्यम से लेखा विभागों, गैर सरकारी संगठनों,तथा अन्य संस्थाओं के स्वंय सहायता समूहों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना।	• 43 परिवारों को विधवा पेंशन, • 13 विकलांग पेंशन, • 42 वृद्ध पेंशन का लाभ दिलाया गया। • समविकास परियोजना के अर्न्तगत 30 जीरो टील हलों का वितरण। • समविकास परियोजना के अर्न्तगत परियोजना क्षेत्र के 70 परिवारो में 1 कुन्टल 48 किलो उडद तथा 200 परिवारो मे 2 कुन्टल फरासबीन बीजों का वितरण किया गया। संस्था द्वारा जिला विकलांग केन्द्र व टि0एच0डी0सी0 के सहयोग से परियोजना क्षेत्र के 12 ग्रामों के 85 परिवारों को कान की मशीन, व्हील चेयर वितरित किये गये ।
	8.2	परियोजना द्वारा आयोजित संस्थागत मुद्दों पर विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में पंचायतीराज संस्थाओं/वन पंचायतों के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना।	क. 8 वन पंचायत के भूमि सम्बन्धित अभिलेख व्यवस्थित किए गये है। ख. 8 वन पंचायत के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया है। ग. 60 प्रतिशत पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
	8.3	ग्राम स्तरीय समन्वय समितियॉ की नियमित बैठक करवाना।	कलस्टर में आने वाली ग्राम समितियों की त्रेमासीक बैठके नियमित आयोजित की जा रही है।
	8.4	विकास खण्ड एवं जनपद स्तरीय समन्वयन एवं अनुश्रवण समिति बैठकों में विकास खण्ड समन्वयकों की चक्रीय आधार पर भागीदारी।	क. खण्ड स्तरीय समन्वयन एवं अनुश्रवण समीति की बैठक प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती है। ख. जनपद स्तरीय समन्वयन एवं अनुश्रवण समितीयों में प्रतिभाग किया जाना शेष है।
9.0	**परियोजना की उपलब्धियों को समझाना, उनका विश्लेषण तथा आदान–प्रदान करना**		
	9.1	परियोजना की गतिविधियों एवं प्रभाव के निरन्तर अनुश्रवण हेतु सुदृढ प्रक्रिया का विकास और कार्यान्वयन करना।	क. परियोजना की 25 प्रतिशत मासिक समिक्षा बैठकों में समन्वयक द्वारा प्रतिभाग एवं विगत बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन किया जा रहा है। ख. परियोजना की 1 छःमाही समीक्षा बैठकों में स्वंय सेवी संस्था के मुख्य कार्यकारी द्वारा प्रतिभाग एवं मूल्यांकन किया जा रहा है।

	9.2	अनुबंध की शर्तों के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करना।	अनुबंध की शर्तों के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रबन्धन इकाई को प्रस्तुत की जा रही है।
	9.3	परियोजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र हेतु आवश्यक सूचना/आंकडों को इकट्ठा करने में परियोजना को सहायता प्रदान करना।	परियोजना द्वारा आयोजित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु लगातार सूचनाओं को एकत्रित करना अनुश्रवण एजेंसी को मद्द की जा रही है।
	9.4	परियोजना द्वार एन0जी0ओ0 को दिये गये संसाधन के प्रबन्धन एवं उपयोग में फेडरेशन की भागीदारी सनिश्चित करना। फेडरेशन की इस कार्यालय में पाक्षिक बैठक सुनिश्चित करना।	परियोजना द्वारा एन0जी0ओ0 को दिये गये संसाधन के प्रबन्धन एवं उपयोग में फेडेरेशन की भागीदारी सुनिश्चित करना। फेडरेशन की इस कार्यालय में पाक्षिक बैठक सुनिश्चित की जाती है।
	9.5	परियोजना ग्रामों की सफल केस स्टडी का प्रचार–प्रसार	क. कम से कम 12 सफल केस स्टडी को लिख कर स्थानीय समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है।
	9.6	विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य योजनाओं द्वारा विपन्नतम व्यक्तियों को सहयोग करने के लिए एवं योजनाओं के कियान्वयन हेतु आवश्यक हस्तक्षेप करने के लिए फेडरेशन को सहयोग करना।	निम्न कार्य फेडरेशन द्वारा किये जा रहे है। 50 प्रतिशत परिवार/व्यक्ति चिन्हित 48 प्रतिशत परिवार/व्यक्ति पंजीकरण करना है। 100 प्रतिशत परिवार/व्यक्ति पेंशन की सुविधा दिलाने का लक्ष्य है। सभी विपन्नतम परिवारों की जानकारी जिला ब्लाक गांव स्तरीय प्रशासन को प्रेषित किया जा रहा है। उक्त कामों मे सहयोगी संस्था फेडरेशन को मद्द कर रही है

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम।

भारत सरकार के स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने पत्र संख्या 24026/136/2009 PNDT दि0 25.6.2010 के माध्यम से उत्तराखण्ड के टिहरी जनपद में आईसी व पी0 सी0 पी0 एन0 डी0 टी की जानकारी हेतु अपनी स्वीकृत्ति प्रदान की गई, संस्था द्वारा उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम किये गये।

ग्राम स्तरीय सर्वे

ब्लाक का नाम	कुल गॉव	0.6 लडका /लडकी	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से 6 वर्ष	योग लडका/ ल डकी
चम्बा	10	86–62	96–53	100–106	125–106	407–327
थौलदार	10	32–26	80–56	102–73	141–112	355–267
भिलंगना	10	34–32	29–31	80–61	46–57	188–181
नरेन्द्रनगर	10	24–16	43–35	79–49	80–56	226–156
देबप्रयाग	10	17–17	47–39	76–68	45–42	185–166
प्रतापनगर	10	34–24	21–25	60–48	53–39	168–136
थत्यूड	10	35–33	41–35	38–42	45–40	159–150
कीर्तिनगर	10	28–26	44–34	42–56	48–39	162–135

उपरोक्त सर्वे से निम्न तथ्य निकलकर सामने आयेः–

1. जो ब्लाक विकसित या शहर के नजदीक हैं वहॉ पर लडकियों का प्रतिशत कम है।

2. जहॉ पर शिक्षा व्यवस्था सही है वहॉ पर लडकियों का प्रतिशत कम है।

जागरूकता कार्यक्रम

संस्था द्वारा लोगों में जागरूकता लाने हेतु निम्न कार्यक्रम किये गये।

कार्यक्रम का नाम	सीान	कुल कार्यक्रम	उपस्थिति	प्रतिभागी
नुक्कड नाटक	चम्बा,नई टिहरी,लम्बगॉव,देवप्रयाग, थत्यूड,कीर्तिनगर	10	1400	जन समुदाय
जिला स्तरीय संवेदनशील कार्यशाला	नई टिहरी	01	63	चिकित्सा विभाग,पत्रकार,स्वयं सहायता समूह की महिलायें
ब्लाक स्तरीय संवेदनशील कार्यशाला	ब्लाक सभागार,चम्बा व फकोट	02	123	पंचायत मंत्री स्वयं सहायता समूह के सदस्य
स्वस्थ शिशु बेबी शौ	चम्बा	01	24	0 से 3 साल तक की लडकी
रैलियॉ	लम्बगॉव,नई टिहरी	04	600	स्कूली बच्चे व स्वयं सहायता समूह की महिलायें

उपरोक्त कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज व बुद्धिजीवी वर्ग को पी0 सी0 पी0 एन0 डी0टी0 व समाज को कन्या भ्रुण हत्या न करने के प्रति जागरूक किया गया, जिससे कि समाज में जागरूकता आये व बुद्धिजीवी वर्ग समाज को कन्या भ्रूण हत्या न करने के लिये प्रेरित करे।

उपरोक्त कार्यक्रम से समाज व लोगों में जागरूकता आई है व प्रतिभागियों ने शपथ पूर्वक कहा है कि वह न तो कन्या भ्रुण हत्या करेंगे व न ही ऐंसा समाज में होने देंगे व अगर इसकी जानकारी उन्हें मिलेगी तो वे सम्बन्धित को दण्ड दिलवायेंगे।

पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जिला व ब्लाक स्तरीय बैठकों का आयोजन

दिनॉक	सीान	विषय	प्रतिभागी	कुल प्रतिभागिया की संख्या
7.7.2011	छाम	फिल्म शौ(चीख पुकार) र प्रश्नोत्तरी	पंचायत सेवक,ग्राम क्षेत्र पंचायत सदस	52
8.7.2011	चम्बा	फिल्म शौ(चीख पुकार) र प्रश्नोत्तरी	पंचायत सेवक,ग्राम क्षेत्र पंचायत सदस	54
4.8.2011	नई टिहरी	फिल्म शौ(चीख पुकार) र प्रश्नोत्तरी	पंचायत सेवक,ग्राम क्षेत्र पंचायत सदस	48

उपरोक्त कार्यक्रम के पश्चात प्रतिभागियों से कन्या भ्रूण हत्या के कारणों के बारे में पूछा गया तो निम्न प्रश्न सामने आये।

- पुत्र की चाहत।
- दहेज प्रथा।
- ऑर्थिक स्थिति।
- लडकी को पराया धन मानना।
- वंश चलाने हेतु।
- अंधविश्वास।
- बुजुर्गो का दबाव।
-

Pregnant women व उनके परिवार के सदस्यों के साथ गॉव व ब्लाक स्तरीय बैठक।

ब्लाक का नाम	कुल गॉव	Pregnant women के साथ बैठकें	परिवार के सदस्यों के साथ कुल बैठकें	बातचीत के मुद्दे
चम्बा	30	122	85	पी0सी0पी0एन0डी0टी0 की जानकारी दी। लडका– लडकी में भेद न समझें परिवार के सदस्यों को लडका लडकी के सम्बंध में भेद न करने को कहा रूढिवादी मानसिकता को त्यागने को कहा गया।
थौलदार	35	135	90	
भिलंगना	8	040	38	
नरेन्द्रनगर	14	056	58	
देबप्रयाग	08	042	40	
प्रतापनगर	24	060	50	
थत्यूड	05	010	08	
कीर्तिनगर	08	032	32	
कुल	132	497	401	

कार्यक्रम के दौरान उनसे निम्न प्रश्न पूछे गये ।

1. यदि पहले तुम्हारी बेटी है , तो तुम्हें आगे क्या करना चाहिये।
2. आपने लिंग जॉच करवाया है।
3. आपको पी0 सी0 पी0 एन0 डी0टी0 की जानकारी है।
4. बेटा – बेटी में आप क्या अंतर समझते हैं
5. लडका – लडकी हेतु क्या सास ससुर का दबाव होता है।

प्रतिभागियों के द्वारा निम्न उत्तर दिये गये ।

1. लडकी दयालू होती है व पुत्र की अपेक्षा मॉ बाप की अधिक देखभाल करती है।
2. लेकिन लडके हेतु बुजुर्गो का दबाव होता है।
3. लडके वंश चलाते हैं
4. पुत्र अपने पिता की चिता को अग्नि देता है।
5. लोगों में रूढिवादी मानसिकता है कि यदि पुत्र अपने पिता को अग्नि नहीं देगा तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी।

नव दम्पतियों से समूह चर्चा

ब्लाक का नाम	कुल नव दम्पत्ति
चम्बा	58
थत्यूड	58
भिलंगना	04
नरेन्द्रनगर	16
देवप्रयाग	22
प्रतापनगर	26
थत्यूड	16
कीर्तिनगर	14

समूह चर्चा के दौरान उनसे निम्न प्रश्न पूछे गये जिसमें उनके द्वारा निम्न उत्तर दिये गये।

प्रश्न

1. आप बच्चा शादी के कितने दिनों बाद चाहते हैं
2. आप लडका – लडकी में किसो प्राथमिकता देंगे।
3. यदि आपकी पहली लडकी होती है तो क्या आप दोबारा गर्भवती होने पर लिंग जॉच करवायेंगे।
4. क्या आप लडका लडकी मे भेदभाव या अंतर समझती हैं

उत्तर

1. नवदम्पत्ति का कहना था कि हमारे लिये लडका व लडकी एक समान हैं
2. रूढिवादी मानसिकता को खत्म करने के लिये हम अपने बुजुर्गो को समझायेंगे।
3. लिंग जॉच एक कानूनी अपराध है।
4. यदि हमारे उपर लिंग जॉच या पुत्र हेतु दबाव बनाया जायेगा तो हम उसका विरोध करेंगे।

आई0 जी0 एस0एस0 एस0 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण व कार्यबोझ कम करने हेतु कार्यक्रम।

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति को इण्डो ग्लोबल सोसाइल सर्विस सोसाइटी के द्वारा अपने परियोजना सॅख्या पर्ल/10–11/एस0आई0 पी0–3 यूटी दि0 4.4.2010 के द्वारा महिला सशक्तिकरण व कार्यबोझ कम करने हेतु परियोजना संस्तुत की गई संस्था द्वारा उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम संस्तुत किये गये।

नैडैप कम्पोस्ट पिट

संस्था द्वारा उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत नैडैप कम्पोस्ट पिट बनाये गये जिससे कि रासायनिक खाद का उपयोग न हो , नैडैप कम्पोस्ट पिट में खाद बनने के बाद हल्की हो जाती है व जहॉ पर 4 कट्टे खाद डालने होते हैं वहॉ पर 1 ही कट्टे खाद का उपयोग किया जाता है, व पैदावार भी अच्छी होती है संस्था निम्न गॉव में नैडैप कम्पोस्ट पिट बनाये गये।

क्रम सॅ0	गॉव का नाम	कुल निर्मित नैडैप कम्पोस्टों की सॅख्या
1.	ठॉगधार	10
2.	दिखोलगॉव	10

सिंचाई हेतु पाइपों का वितरण

संस्था द्वारा उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत निम्न गॉवों में सिंचाई हेतु पाइपों का वितरण किया गया है।
जिससे कि सब्जी उत्पादन बेहतर हो सके।

क्रम सॅख्या	गॉव का नाम	कुल वितरित पाइपों की सॅख्या
1.	गाजणा	05
2.	किरगिणी	06
3.	धारकोट	06
4.	कटाल्डी	03
5.	जौलंगी	03
6.	कण्डाखोली	02
7.	सिल्कोटी	02
8.	नैल	02
9.	चौपडियाल बडागॉव	02
10.	बिरगिणी	03
11.	जुगडगॉव	02
12.	चोपडियाल	04

आधुनिक कृषि उपकरणों का वितरण

क्रम सॅख्या	कृषि उपकरण का नाम	कुल वितरित
1.	जौलंगी	20
2.	कण्डाखोली	20
3.	गाजणा	20
4.	किरगिणी	20
5.	धारकोट	20
6.	कटाल्डी	20
7.	बिरगिणी	20
8.	चौपडियाल	20
9.	बिरगिणी	20
10.	जुगडगॉव	20

चारा घास का उत्पादन

संस्था द्वारा उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत चारा घास हेतु नर्सरियॉ तैयार की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सॅख्या	गॉव का नाम	कुल नर्सरी
1.	जौलंगी	1
2.	नैल	1
3.	धारकोट	1
4.	डंडासली	1
5.	हडम	1

गॉवों में 500 ली0 के पानी के प्लास्टिक टैंकों का वितरण

संस्था द्वारा उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत प्लास्टिक टैंकों का वितरण किया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार है

क्रम सॅख्या	गॉव का नाम	कुल वितरित टैंकों की सॅख्या
1.	धारकोट	09
2.	गजणा	10
3.	कटाल्डी	06
4.	जौलंगी	05
5.	कण्डाखोली	08
6.	सिल्कोटी	08
7.	जडीपानी	04

उपरोक्त कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के कार्यबोझ को कम करने के साथ ही उनका सशक्तिकरण व उनकी आय में वृद्धि करना था।

3-एडस टी0 आई0 परियोजना।

सॅस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति,रानीचौरी टिहरी गढ्वाल को उत्तराखण्ड राज्य एडस नियंत्रण कॅट्रोल सोसाइटी द्वारा अपने पत्र सॅ0 3412दि0 29.9.209 द्वारा सॅयुक्त मूल्यॉकन टीम के द्वारा मूल्यांकन करने के बाद migrants हेतु उपरोक्त परियोजना के संचालन हेतु 2010 – 11 के लिये अपनी स्वीकृत्ति प्रदान की गई। जिसका उद्देश्य एडस के प्रति लोगों को जागरूक करना था। संस्था द्वारा उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत निम्न कार्य किये गये।

HRG फार्म भरना

उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत टिहरी जनपद में सर्वप्रथम 5000 migrants की पहचान की गई व उनके फार्म भरे गये उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत 5000 migrants के साथ कार्य किया जाना था।

बी0पी0 एल0 की नियुक्ति

परियोजना के अंतर्गत 5000 माइग्रेन्टस में से 50 बी0 पी0 एल का चुनाव किया गया जो कि माइग्रेन्टस के मुख्यिा होते थे जो कि परियोजना के प्रचार – प्रसार में इनका सहयोग करते थे, साथ ही कण्डोम वितरण आदि इनके सहयोग सेकिया जाता था।

बी0पी0 एल0 व ओ0 आर0 डब्ल्यू हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत बी0 पी0 एल0 हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे गये जिसमें इन्हें एडस क्या है, व यह किस कारण फैलता है व इसके बचाव हेतु क्या – क्या उपाय हैं उपरोक्त सभी जानकारी दी गई क्योंकि बी0 पी0 एल0 माइग्रेन्टस के बीच की एक महत्वपूर्ण कडी है जो कि एक सुविधादाता की भी भूमिका अदा करता है उपरोक्त सभी जानकारी दी गई।

डिपो होल्डर की नियुक्ति व प्रशिक्षण कार्यक्रम

उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत 25 डिपो होल्डर की नियुक्ति की गई जो कि मेडिसन की दुकान पान की दुकान आदि वालों को डिपो होल्डर बनाया गया जहॉ पर की कण्डोम रखे जाते हैं जिससे कि माइग्रेन्ट्स को कण्डोम आसानी से उपलब्ध हो सकें। साथ ही डिपो होल्डर को भी एड्स के प्रति जागरूकता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराये गये व उनकी भूमिका के बारे में बताया गया जिससे कि डिपो होल्डर सहजता से कार्य कर सकें।

गुप्त रोग जॉच शिविरों का आयोजन।

उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत गुप्त रोग जॉच शिविरों का जगह – जगह पर आयोजन किया गया माह में इस तरह के 4 गुप्त रोग जॉच शिविरों का आयोजन किया गया जिससे कि यदि माइग्रेन्ट्स को कोई गुप्त रोग हो तो उसका निवारण किया जा सके क्यों कि यदि किस व्यक्ति को गुप्त रोग है तो उसमें एडस की सम्भावना ज्यादा बढ जाती है। इसलिए जॉच शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें डाक्टर द्वारा जॉच के साथ – साथ रोगी को दवा का भी वितरण किया जाता है।

आई0 सी0 टी0 सी0 सेन्टर पर एडस जॉच

माइग्रेन्ट्स को आईसीटीसी सेन्टर ले जाकर एडस की जॉच की गई ताकि यदि किसी पर यह रोग हो तो उसका इलाज कराया जा सके व अन्य को भी इस रोग से बचाया जा सके वर्तमान वर्ष में नरेन्द्रनगर बौराडी व पिलखी आईसीटीसी सेन्टरों में माइग्रेन्ट्स की एड्स जॉच की गई।

संस्था द्वारा वर्ष के दौरान किये गये कार्य

क्रम सॅख्या	कार्यक्रम का नाम	कुल कार्यक्रम
1.	नुक्कड नाटक	18
2.	बी0पी0एल0 व ओ0 आर0 डब्ल्यू हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	01
3.	गुप्त रोग जॉच शिविर	30
4.	डिपो होल्डर हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	01
5.	स्टेक होल्डर के साथ बैठकें	06
6.	माइग्रेन्टस के साथ कार्यक्रम	02
7.	कण्डोम वितरण	2256
8.	आई0सी0टी0सी0 में कुल माइग्रेन्टस की जॉच	672

आर0 सी0 एच0 परियोजना।

उपरोक्त परियोजना संस्था द्वारा विगत 3 वर्षो से टिहरी जनपद के ब्लाक भिलंगना में चलाई जा रही है वर्तमान वर्ष में उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत निम्न कार्य किये गये। संस्था के द्वारा ब्लाक भिलगना के बिनयखाल क्षेत्र के दो एनम सेन्टर खवाड़ा और कठैती में कार्य किया गया। जो कि 1 अप्रेल 2008 से कार्य किया गया है। संस्था के द्वारा निम्न गतिविधियां सम्पादित किये गये हैं।

क0 स0	कार्यक्रम का नाम	सॅख्या
1.	रैलियॉ	10
2.	ग्रुप मीटिंग	20

3.	दीवार लेखन	75
6.	ग्राम स्वास्थय समितियों का फैसिलिटेशन हेतु बैठक	09
7.	ग्राम स्वास्थय समितियों की बैठक	09
8.	प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र में बैठक	12
9.	स्वास्थय कैम्प	02
10	समुदायिक स्वास्थय कर्मियों का प्रशिक्षण	01
11	ऑगनवाडी,एनम, एवं आषा कार्यकर्तियों हेतु दो दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला	01

रैलियों का आयोजन

आर0 सी0 एच0 कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों,स्कूलों में रैलियों का आयोजन किया गया, जिसका उद्देष्य लोगों में स्वास्थय,टीकाकरण,गर्भवती स्त्रियों को आयरन की गोलियॉ आदि के बारे में जागरूक करना था, जिससे कि ग्रामीण समुदाय स्वास्थय के प्रति जागरूक रहे साथ ही गर्भवती स्त्रियों का सही समय पर टीकाकरण हो सके जिससे कि माता के साथ–साथ बच्चा भी स्वास्थ रहे व मात्रृत्व म ृत्यू दर में कमी लाई जा सके। वर्ष 2010-11 में 10 रैलियों का आयोजन किया गया। रैलियों में स्कूली बच्चे,ग्रामीण समुदाय,ग्राम प्रधान आदि लोगों ने भाग लिया।

ग्रूप मीटिंग

राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थय कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना के ग्रामों में बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों को कौन– कौन से टीके लगते हैं गर्भवती स्त्री को आयरन की गोलियों के साथ ही टीकाकरण की जानकारी के साथ ही ओ0आर0एस0 घोल के बारे में जानकारी दी गई कि आप अपने बच्चों को कैंसे स्वस्थ रख सकते हैंकिस तरह से इसे पानी में घोलना चाहिए ओर0आर0एस0बच्चों का जीवन रक्षक घोल है। इसे पानी में मिलाकर बच्चों को देना चाहिए। उल्टी,पेचिस,दस्त आदि से बच्चों की रक्षा करता है। साथ – साथ ही गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई व बैठकों के माध्यम से पुरूष महिला नसबंदियों के बारे में जानकारी दी गई, ग्राम स्तर पर 20 बैठकों का आयोजन किया गया।

दीवार लेखन

राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्तर पर 75 स्थानों पर दीवार लेखन का कार्य किया गया साथ ही मुख्य सडक पर 10 स्थानों पर दीवार लेखन का कार्य किया गया जिसमें स्वास्थय सम्बन्धी नारे ,जैंसे दूसरे बच्चे में 3 वर्ष का अन्तर अवश्य रखें व गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल करें आदि नारे जनजागरूकता हेतु लिखे गये

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ग्राम स्वास्थ्य समितियों की बैठक

ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें समितियों को गॉव में जागरूकता हेतु कैंसे कार्य किया जाना चाहिए, ग्राम स्वास्थय समितियों की बैठक में महिला,बच्चों के सवास्थ्य के साथ –साथ महिला पुरूश नसबंदी के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही गर्भवती महिलाओ को कौन –कौन से टीके लगने चाहिए, व किषोरियों व बच्चों व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की जानकारी दी गई, साथ ही ग्राम स्वास्थय समितियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया, ग्राम स्वास्थ्य समितियों की बैठक में ग्राम प्रधान,महिला मंगल दल क्षेत्र पंचायत आदि सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। वर्श में 9 स्वास्थय समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया,

बैठकों का आयोजन

प्रत्येक माह राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्य क्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यक्रम की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया गया जिसमें माह में क्या –क्या कार्य किये गये उस पर चर्चा की गई साथ ही अगले माह होने वाले कार्यक्रमों हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये।

स्वास्थ्य कैम्प

राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन किया गया जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक व एनम द्वारा बच्चों, महिलाओं, आदि का टीकाकरण किया गया साथ ही स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गई,कि गर्भवती महिलाओं को कौन –कौन से टीके लगाने चाहिए साथ ही बच्चों को ओ0आर0एस0 का घोल अवष्य पिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चों में पानी की कमी नहीं होती है साथ ही स्वास्थय भी अच्छा रहता है। साथ ही गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही अगले बच्चे व पहले बच्चे के जन्म में 3 वर्ष का अंतर अवश्य होना चाहिए स्वास्थय कैम्प में निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया, स्वास्थय कैम्प में ग्रामीण महिलाओं बच्चों, ग्राम प्रधान आदि लोगों ने हिस्सा लिया।

मोबाइल क्लीनिक

राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल कैम्पों का आयोजन किया गया जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक व एनम द्वारा बच्चों, महिलाओं, आदि का टीकाकरण किया गया साथ ही स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गई,कि गर्भवती महिलाओं को कौन –कौन से टीके लगाने चाहिए साथ ही बच्चों को ओ0आर0एस0 का घोल अवष्य पिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चों में पानी की कमी नहीं होती है साथ ही स्वास्थय भी अच्छा रहता है। साथ ही गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही अगले बच्चे व पहले बच्चे के जन्म में 3 वर्ष का अंतर अवश्य होना चाहिए स्वास्थय कैम्प में निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया, स्वास्थय कैम्प में ग्रामीण महिलाओं बच्चों, ग्राम प्रधान आदि लोगों ने हिस्सा लिया। मोबाइल कैम्पों का आयोजन ग्राम स्तर पर किया गया जिसमें वाहन ले जाकर ग्रामीणों के स्वास्थय की जॉच की गई वर्श 2008.09 में 12 मोबाइल कैम्पों का आयोजन किया गया।

सामुदायिक स्वास्थय कर्मियों का प्रशिक्षण

राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थय कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थय कमिर्यो को कार्यक्रम के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण स्थान बिनयखाल में दिया गया जिसमें श्रीमती कुम्भीबाला भट्ट व बिनोद मॅमगॉई द्वारा स्वास्थय कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षण में बताया गया कि कार्यक्रेम के अंतर्गत स्वास्थय कर्मियों की भूमिका क्या है व उनके द्वारा गॉव में कौन –2 से कार्य किया जाना है। विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई सर्वप्रथम बच्चों के टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई कि बच्चों को कौन –2 से टीके लगने चाहिए गर्भवती माताओं को लगने वाले टीकाकरण के साथ ही गर्भनिरोधक गोलियों,कण्डोम आदि के बारे में जानकारी दी गई व गर्भनिरोधक गोलियों का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। सम्पूर्ण जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दी गई।

ऑगनवाडी एनम, आशा कार्यकर्तियों के साथ दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थय कार्यक्रम के अंतर्गत ऑगनवाडी एनम व आशा कार्यकर्तियों को को कार्यक्रम के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन स्थान बिनयखाल में किया गया जिसमें श्रीमती कुम्भीबाला भट्ट व बिनोद मॅमगॉई द्वारा आशा कार्यकर्तियों,एनम ऑगनवाडी कार्यकर्तियों द्वारा अपने – अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया गया साथ ही कार्यक्रम को बेहतर बनाने हेतु बेहतर तालमेल किस प्रकार से किये जा सकते है। व सम्बन्धित कार्यकर्तियों

की उपरोक्त कार्यक्रम में क्या भूमिका है। कार्यशाला के दौरान बताया गया कि कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थय कर्मियों की भूमिका क्या है व उनके द्वारा गॉव में कौन –2 से कार्य किया जाना है। विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई सर्वप्रथम बच्चों के टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई कि बच्चों को कौन –2 से टीके लगने चाहिए गर्भवती माताओं को लगने वाले टीकाकरण के साथ ही गर्भनिरोधक गोलियों,कण्डोम आदि के बारे में जानकारी दी गई व गर्भनिरोधक गोलियों का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। सम्पूर्ण जानकारी व अनुभवों का आदान प्रदान कार्यशाला के माध्यम से दी गई

उपरोक्त कार्यशाला में ऑगनवाडी,एनम, आशा कार्यकर्तियों का कहना था कि उपरोक्त कार्यशाला से हमें काफी जानकारी मिली है व कार्यक्रम को बेहतर बनाने में हमारी भूमिका क्या है उसकी जानकारी मिली है हम सब मिलकर कार्यक्रम को बेहतर बना सकते है।,जो कि आने वाले समय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हेतु मील का पत्थर साबित होंगे,

जिला विकलॉग एवं पुनर्वास केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा जिला अस्पताल बौराडी में जिला विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र का संचालन कर रही है व समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकलांगों के पुर्नवास आदि कार्य हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसके पदेन अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय, उपाध्यक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय व नौडल अध्किारी अध्यक्ष ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति को बनाया गया है व जिला समाजकल्याण अधिकारी व रेडक्रास समिति इसके सदस्य हैं संस्था के पास विकलांग केन्द्र के संचालन हेतु पी एण्ड ओई , मोबिलिटी इन्स्ट्रक्टर, हियरिंग विशेषज्ञ, मनौवैज्ञानिक अध्यापक,तकनीकी प्रशिक्षक लेखाकार व सहायक हैं। इस वर्ष जिला विकलांग केन्द्र के माध्यम से निम्न कार्य किये गये हैं।

1) Therapeutic Services delivered Excluding Surgeries Perfoemed-

Sl. No.	Category	No. of Beneficiary
1	Thopacdically Handicapped	208
2	Mentally Handicapped	97
3	Visully Handicapped	76
4	Hearing Handicapped	926
5	Multiple Handicapped	143
	Total-	**1450**

(2) Training related activities- No. of Persons trained

Sl. No.	Category	No. of Beneficiary
1	Anganwadi worker	33
2	ANm	16
3	Teachers	68
4	Nurses	6
5	Any other	-
	Total-	**123**

(3) Awarensess generation Indicate the Number of visit/ Programmes

Sl. No.	Category	No. of Beneficiary
1	Preparation and face distribution of written material in local language	246
2	Radio Talk	01
3	T.V. coverage through local network	03
4	Publication of articles in Print Media	32
5	Meeting with parents of disabled children	38
6	Meeting with Parents of Non- disabled children	60
7	Visit to school and addressing teachers Principal and students	105
8	Self help groups	165
9	Others	-
	Total-	**650**

(4) Employment/ Facilities concessions

Sl. No.	Category	No. of Beneficiary
1	Self Employed	08
2	Employed in Govt./Pvt. Sector	9
3	Provided disability dertificate/ concession	-
4	Admission in regular School	06

(5) Broad Activities

Sl. No.	Category	No. of Beneficiary
1	No. of villages surveyed	97
2	Assessment comps[Through camp approach]	97
3	Follow up camps[Through camp approach]	12
4	No. of Meetings of the DMT	04
5	Any other- Please specity	
	Total-	**210**

एडिप परियोजना के अंतर्गत विकलांगों को विकलांग उपकरणों का वितरण

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा भारत सरकार की एडिप परियोजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है जिसका उद्देश्य निम्न है।

1– विकलांगों को निःशुल्क उपकरणों का वितरण।
2– विकलांगों को उपकरणों हेतु सहायता देने वाले विभागों की जानकारी देना।

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल को भारत सरकार के सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा विगत दो वर्ष से कोई सहायता नहीं दी गइ थी लेकिन वर्तमान वर्ष मे वित्तीय सहायता दी गईं जिससे संस्था द्वारा निम्न सामग्री का वितरण किया गया।

क0सं0	वितरित सामान	संख्या
1–	व्हील चेयर	27
2–	ट्राई साइकिल	28
3–	कान की मशीन	512
4–	छड़ी दृष्टिबाधित	213
5	कृत्रिम पैर व हाथ	02

पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।

पिछडा क्षेत्र क्षेत्र अनुदान कोष भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है भारत सरकार द्वारा वर्तमान में यह उत्तराखण्ड में टिहरी,चम्पावत व चमोली में चलाया जा रहा है पंचाययती राज विभाग द्वारा हमें उपरोक्त कार्यक्रम टिहरी जनपद में ब्लाक चम्बा व थौलदार में चलाने को कहा गया, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत राज का प्रशिक्षण दिया जाना था, हमारे द्वारा चम्बा व थौलदार ब्लाक के निम्न प्रचायत राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया।

1. ब्लाक थौलदार व चम्बा के जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य।
2. ब्लाक थौलदार व चम्बा के ब्लाक प्रमुख व क्षेत्र पंचायत सदस्य।
3. ब्लाक थौलदार व चम्बा के समस्त प्रधान।
4. ब्लाक थौलदार व चम्बा के गॉवों के सभी वार्ड सदस्य।

प्रशिक्षण में निम्न जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई ।

पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष के उद्देश्य व बुनियादी विशेषतायें

- विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, व वित्तीय सहायता प्राप्त कराना।
- स्थानीय आधारभूत ढॉचे और विकास सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं की ऐंसी नाजुक कडियों को जोडना जो मौजूदा व्यवस्था से ठीक नहीं हो पा रही हैं
- स्थानीय निकायों को नियोजन,क्रियान्वयन और योजनाओं की निगरानी में पेषेवर सहायता उपलब्ध कराना ।
- पंचायतों को सौंपे गये महत्वपूर्ण कार्यो के निष्पादन में सुधार करना तथा अपर्याप्त स्थानीय क्षमता तथा सबको इनका फायदा दिलाने में विधमान कमियो को दूर करना।
- इस योजना में सम्बन्धित जिले में चल रही विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वय किया जाएगा।

पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि में वित्त पोषण दो प्रकार से होगा।

- 250 करोड रूपये की धनराशी का उपयोग मूलतःनियोजन,क्रियान्वयन,लेखांकन और जबाबदेही तथा पारदर्षिता में सुधार की क्षमता जुटाने में किया जाएगा।
- 3500 करोड रूपये का असंबद्ध अनुदान *पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन राशियों का आबंटन पारदर्षी मानदण्डों के अनुसार होगा वे इसका उपयोग विकास की टूटी हुई महत्वपूर्ण कडियों को जोडने में करेंगे।*

जिलों को धनराशि के वितरण के मापदण्ड

- निश्चित धनराशी दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत बाकी बची 50 प्रतिशत राषि सभी पिछडे जिलों की कुल आबादी में उस जिले की जनसंख्या के हिस्से के आधार पर की जाएगी।
- षेश 50 प्रतिषत राशि पिछडे जिले प्रत्येक जिले को 10 करोड रूपये वार्षिक की एक न्यूनतमं के कुल क्षेत्रफल में उस जिले के हिस्से के आधार पर किया जाएगा।

पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए नियोजन प्रक्रिया

- सम्बन्धित जिले के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत या नगरपालिका पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत एक इकाई होगी।
- प्रत्येक पंचायत या नगरपालिका द्वारा तैयार योजनाओं को जिला योजना में समन्वित किया जाएगा।यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी के अनुसार गठित जिला नियोजन समितियों द्वारा किया जाएगा
- योजना आयोग के दिशा निर्देशों में की गई परिकल्पना के अनुसार जिला योजना बनाते समय उपेक्षित समूहों का पक्के तौर पर ध्यान रखना।
- जिला योजना में अनुसूचित जातियों –जनजातियों से संबंधित मुददों का पूरा – पूरा ध्यान रखा जाएगा।
  प्रत्येक पंचायत और शहरी निकाय की योजना में एक अलग उपयोजना तैयार की जायेगी।
  जिस क्षेत्र के लिये योजना तैयार की जा रही है उसके दायरे में रहने वाले अनुसूचित जातियों जनजातियों के लोगों के लाभ के कार्यक्रमों के लिये कम से कम उनकी जनसंख्या के आधार पर धन का आबंटन किया जायेगा ।
  जिन गॉवों में अनुसूचित जाति– जनजातियों की संख्या अधिक है वहॉ पर ऑगनवाडी, स्वास्थ्यसुविधाओं का अधिक ध्यान रखा जाना चाहिये।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

- लोक सूचना अधिकारी प्रधान, ग्राम पंचायत
- सहायक लोक सूचना अधिकारी – ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
- प्रथम अपीलीय अधिकारी – खण्ड विकास अधिकारी
- द्वितीय अपीलीय अधिकारी – राज्य सूचना आयोग
- किस प्रकार की सूचनायें
- अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, आदेश, नमूने, रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र (सर्कुलर) संविदा कागज़पत्र, लॉगबुक, मॉडल और आंकडों संबंधी सामग्री जो इलैक्टॉनिक रूप में है तथा निजी निकायों से संबंधित ऐसी सूचना जो किसी लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी अन्य कानून के जरिये हासिल की जा सकती है ।
- लोक सूचना अधिकारी प्रधान, ग्राम पंचायत
- सहायक लोक सूचना अधिकारी – ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

- प्रथम अपीलीय अधिकारी – खण्ड विकास अधिकारी
- द्वितीय अपीलीय अधिकारी – राज्य सूचना आयोग
- किस प्रकार की सूचनायें

- अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, आदेश, नमूने, रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र (सर्कुलर) संविदा कागज़पत्र, लॉगबुक, मॉडल और आंकडों संबंधी सामग्री जो इलैक्टॉनिक रूप में है तथा निजी निकायों से संबंधित ऐसी सूचना जो किसी लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी अन्य कानून के जरिये हासिल की जा सकती है ।

- **कैसा अधिकार**
- निर्माण कार्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण का अधिकार
- दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का अधिकार
- सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार
- सामग्री फलापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्टॉनिक रूप में या प्रिन्ट आउट के माध्यम से या कम्प्यूटर में भंडारित की गयी सूचना को प्राप्त करने का अधिकार

सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन

- अनुरोधकर्ता का विभिन्न विभागों अथवा विषयों की सूचनाओं के लिये पृथक–पृथक अनुरोध प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
- सूचना का अनुरोध प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिये ।
- अक्षम व्यक्ति द्वारा सूचना का अनुरोध करने पर लोक सूचनाधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व बनता कि वह मौखिक अनुरोध को लिपिबद्ध कर प्रजीकृत करे।
- ई– मेल के माध्यम से भी अनुरोध किया जा सकता है ।
- सूचना का अनुरोध पत्र प्राप्त करने पर पंजीकरण लोकप्राधिकारी के स्तर पर बाध्यकारी है ।

- अनुरोधकर्ता का विभिन्न विभागों अथवा विषयों की सूचनाओं के लिये पृथक–पृथक अनुरोध प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
- सूचना का अनुरोध प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिये ।
- अक्षम व्यक्ति द्वारा सूचना का अनुरोध करने पर लोक सूचनाधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व बनता कि वह मौखिक अनुरोध को लिपिबद्ध कर प्रजीकृत करे।
- ई– मेल के माध्यम से भी अनुरोध किया जा सकता है ।
- सूचना का अनुरोध पत्र प्राप्त करने पर पंजीकरण लोकप्राधिकारी के स्तर पर बाध्यकारी है ।

सूचना हेतु शुल्क

- आवेदन शुल्क दस रूपया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है जो नकद, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर, मनीआर्डर व गैर न्यायायिक स्टाम्प पेपर, बैंकर चैक, ट्रेजरी चालान के रूप में जमा करेगा।
- गरीबी रेखा के नीचे गुजरबसर करने वाले व्यक्तियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में निर्धारित फीस मांगी जा सकती है –
  प्रति पृष्ठ (ए–4/ए–3) – 2 रूपये

सी.डी. / फ्लापी	– 50 रूपये
अभिलेखों का निरीक्षण	– प्रथम 1 घण्टा निःशुल्क उसके उपरांत प्रत्येक 15 मिनट हेतु 5 रूपये
मुद्रित सामग्री	– वास्तविक मूल्य

सूचना हेतु निर्धारित अवधि

- सूचना के आवेदन की प्राप्ति के उपरान्त लोक सूचना अधिकारी या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या विहित शुल्क के बारे में सूचना देगा या आवेदन अस्वीकृत किये जाने की कारण सहित सूचना देगा – *30 दिन के अन्दर ।*
- यदि मांगी गयी सूचना व्यक्ति के जीवन एवं स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है तब तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी – *48 घण्टों के अन्दर*
- यदि लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना को प्रकट करना चाहता है, जिसको तीसरा पक्ष गुप्त समझता है, तब लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्ष को अपनी आपत्ति रखने के लिये लिखित नोटिस द्वारा आमन्त्रित करेगा – *05 दिन के अन्दर ?*
- सूचना का अनुरोध मिलने पर यदि लोक सूचना अधिकारी किसी ऐसे अभिलेख के ऐसे भाग की विषय वस्तु का खुलासा करने का निर्णय लेते हों जो जो किया तिसरे पक्ष (व्यक्ति या संगठन) से सम्बन्धित हों और उस व्यक्ति और संगठन द्वारा इस विष्वास पर लोक प्राधिकारी को दी गई है कि सूचना किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नही करायी जायेगी। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी का यह दा ितीसरा पक्ष लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त नोटिस के बाद अपनी आपत्ति रखेगा – *10 दिनों के अन्दर*
- यदि प्रार्थना पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास जमा किया गया है – *30 दिनों के अतिरिक्त 5 दिन*
- यदि प्रार्थना पत्र का विषय दूसरे संगठन / विभाग से सम्बन्धित है – *30 दिनों के अतिरिक्त 5 दिन*

  सरकारी सेवको की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियां अधिनियम के अंतर्गत सूचना के रूप में देने से छूट है।

तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना

सूचना का अनुरोध प्राप्त होने के 5 दिनों के अंदर सम्बन्धित तीसरे पक्ष को पत्र लिखकर या दूरभाष से इस की सूचना दे। आवेदनकर्ता के अनुरोध पर लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्ति की तिथि के 40 दिनों के अन्दर प्रकट करने या न करने का निर्णय ले सकते हैं। यदि सूचना का खुलासा करने से तीसरे पक्ष को होने वाली सम्भावित हानि से लोक हित कहीं अधिक साध्य होता है तो, ऐसी सूचना को प्रकट करने का निर्णय लिया जा सकता है।

पंचायती राज का इतिहास

- पंचायती राज शब्द की शुरूआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई
- राष्टपिता महात्मागॉधी ने भी इसका पक्ष लिया व ग्राम स्वराज के बारे में सोचा कि गॉव अपनी सोच के अनुसार गॉव का विकास स्वयं करे।
- 1950– 60 के दौरान कुछ राज्यों ने इसी तर्ज पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।
- 1992 में 73 वॉ संविधान संशोधन पास हुआ लेकिन पूर्ण रूप 8 राज्यों में 24 अप्रैल 1993 में मे लागू हुआ।
- वर्तमान में 3 राज्यों नागालैंड मिजोरम मेघालय को छोडकर सभी राज्यों में पंचायती राज लागू है।

अधिनियम 1992

ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित करने और उसे समुन्नत बनाने के लिए यह अधिनियम बनाया।
राज्य ग्राम पंचायतो का गठन करने के लिए कदम उठायेगी और उनको ऐसी शक्तियां तथा अधिकार प्रदान करेगी जो उन्हे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप मे कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो ।

73 वॉ व 74 वॉ संविधान एक नजर में।

- सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ।
- 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में दो स्तरीय पंचायत व्यवस्था (मध्यस्तरीय पंचायत का गठन नही)
- ग्राम सभा

  त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था। तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ें वर्गों के व्यक्तियों के पदो में और महिलाओं के लिए स्थानों का चक्रानुक्रम में आरक्षण।
  .पंचायतो का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

- पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह एक क्रान्तिकारी कदम था ।
- यह पंचायतीराज संस्थाओं हेतु आर्दश स्वरूप है ।
- 243 ठ (243 छ). विद्यमान विधियों एवं पंचायतों का बना रहना– इसी भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से सम्बन्धित किसी विधि का कोई उपबंध जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक सक्षम विधान–मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा ।

- Xयारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 छ) – 29 विषयों का हस्तान्तरण। (उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा मात्र 14 विषयों का हस्तान्तरण हुआ है परन्तु उसका भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।)
- हम अपने पंचायतीराज अधिनियम में 73वें संविधान संशोधन के अनुसार बदलाव नहीं ला पाये ।
- वर्तमान पंचायतीराज अधिनियम तथा अन्य शासनादेशों के अनुसार व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु हमे आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है ।

कार्यकाल

प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 05 वर्ष । निर्वाचन कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व । विघटन की तारीख से छः माह से पूर्व निर्वाचन । विघटन के पश्चात् छः माह से कम समय रहने पर निर्वाचन आवश्यक नहीं अथवा विघटन /
रिक्ति के कारण निर्वाचन पांच वर्षों की शेष अवधि के लिए मान्य। सदस्य / अध्यक्ष पद के लिए 21 वर्ष की आयु आवश्यक ।

पंचायत क्या है?

- आम जनता की शक्ति ;Power to the People)
- वास्तविक प्रजातन्त्र ;True Democracy)
- प्रजातन्त्र का मतलब प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा शासन है । जब तक विकास कार्यों का दायित्व प्रजा को सौंप नहीं दिया जाता है तब तक प्रजातन्त्र का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है ।
- पंचायतीराज त्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा विकास कार्य (शासन)।

पंचायत की आवश्यकता क्यों है?

- प्रशासन (कार्यक्षेत्र) की छोटी इकाई जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन सही प्रकार से हो सके ।
- बढ़ते कार्यों/ विभागों की संख्या – ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक कार्य/विभाग हेतु कर्मचारी रखा जाना असम्भव है ।
- पारदर्शिता तथा जनता की भागीदारी हेतु ।
- प्रजातन्त्र के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ।

ग्राम पंचायत के गठन हेतु मानक

500 तक की आबादी पर 5 सदस्य
501 से 1000 की आबादी पर 7 सदस्य

1001 से 2000 तक की आबादी पर 9
2001 से 3000 तक की आबादी पर 11
3001 से 5000 तक की आबादी पर 13
5000 से अधिक की आबादी पर 15

ग्राम पंचायत की समितियॉ

नियोजन एवं विकास समिति
शिक्षा समिति
स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
प्रशासनिक समिति
जल प्रबन्धन समिति

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अर्न्तगत संस्था द्वारा टिहरी जनपद के ब्लाक चम्बा व थौलदार में 32 गॉवों में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया पिछले वर्ष सस्था के प्रयासों से 10 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रपति पुरूस्कार दिलाया गया व वर्तमान वर्ष में ग्राम जगधार को राष्ट्रपति पुरूस्कार हेतु चयनित किया गया है।

राडस प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन

राडस प्रशिक्षण केन्द्र संस्था द्वारा निर्मित किया गया है, जहॉ पर समय – समय पर विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता रहा है, वर्तमान में भी संस्था द्वारा विभिन्न विभागों के प्रशिक्षणों का

आयोजन किया गया यहॉ पर संस्था के पास विभिन्न प्रशिक्षण हेतु कुशल रिर्सोस पर्सन उपलब्ध है तथा 100 लोगों तक की खाने व रहने की व्यवस्था प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध है।

स्वजल परियोजना सेक्टर कार्यक्रम।

संस्था के द्वारा उत्राखण्ड जल संस्थान के सहयोग से निम्न ग्रामों में पेयजल लाइन का कार्य किया गया।

1. दनौली,
2. नन्दगॉव

जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई स्वजल परियोजना के माध्यम से निम्न गॉवों में स्वजल परियोजना के माध्यम से कार्य किये गये।

1. खडीखाल
2. तिखोन
3. गुनोगी
4. पटूडी

उपरोक्त गॉवों में संस्था के द्वारा टैंक बनाकर गॉवों में पाईप लाइन बिछाकर पेयजल का कार्य किया गया जहॉ पर अब पूर्ण तरह पानी उपलब्ध है।

सडक सुरक्षा कार्यक्रम

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति विगत पॉच वर्षो से सडक सुरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन कर
को भारत सरकार से कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई लेकिन संस्था द्वारा अपने संसाधनो
निम्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम किये गये जिसमें ग्रीन कार्ड के साथ – साथ ड्राइवर के
जिनकी ऑखें कमजोर थी उन्हें निःशुल्क चश्मे वितरित किये गये।संस्था द्वारा निम्न स्थानों पर स

क्0सं0	स्थान का नाम	कुल प्रतिभागी	वितरित चश्मे	कुल निर्मित ग्रीन कार्डो की संख्या
1.	चम्बा	146	24	103
2.	नई टिहरी	152	85	123
3.	थाना देवप्रयाग	84	22	74
4.	थाना घनसाली	97	15	56
5.	थाना मुनि की रेती	165	28	134

ग्रामीण निर्मिति केन्द्र

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार व हुडको के सहयोग स्थान नागणी में ग्रामीण निर्मिति केन्द्र की स्थापना की गई है। ग्रामीण निर्मिति केन्द्र के उद्देश्य निम्नवत् हैः–

1– उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए भूकम्प विरोधी तकनीकी भवनों का निर्माण करना।
2– राजमिस्त्रियों को समय–समय पर उच्च तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना।
3– हॉलोब्लाक ईटों का निर्माण करना।

ग्रामीण निर्मिति केन्द्र के माध्यम से भूकम्परोधी तकनीकियों का विकास किया जा रहा है जिसमें अकुशल मिस्त्रियों को राजमिस्त्री के साथ –साथ भूकम्प विरोधी भवनों के निर्माण व बरसाती पानी का टैंक बनाने का प्रशिक्षण दिया गया ।

जैविक उत्पाद परिषद द्वारा सहायतित परियोजना के अंतर्गत 12 गॉवों में जैविक समूहों का गठन कर जैविक व सामूहिक खेती को बढावा देना।

उत्राखण्ड जैविक उत्पाद परिषद द्वारा अपने पत्रांक 523/126 दि06.8.2009 के द्वारा संस्था का चयन जनपद टिहरी के ग्रामों में जेविक कार्य हेतु किया गया, जैविक के उददेश्य निम्न हैं।

- जैविक ग्रामों में जैविक कृषकों के जैविक उत्पाद समूह स्थापित करना।
- जैविक उत्पाद समूहों का सुदृढीकरण,बैठक में प्रतिभाग करने हेतु उत्साहित एवं जागरूक करना।
- एक मत होकर कार्य करने हेतु प्रेरित करना।
- जैविक कृषि के प्रति समर्पित होना।
- जैविक उत्पाद समूह का पंजीकरण उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद में करवाना।
- बैंक,फसल बीमा कम्पनियों के बीच में समन्वय स्थापित करना।
- समूहों को जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत आन्तरित नियंत्रण प्रणाली के क्रियान्वयन तथा जैविक प्रमाणीकरण हेतु दस्तावेजों को भरने में सक्षम करवाना।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क्या है तथा इसके लाभ समझाना,प्रदेश में आई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना।

संस्था के द्वारा उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत अब तक निम्न कार्य किये गये हैं

1. ब्लाक चम्बा में 12 जैविक समूहों का गठन।
2. बैंकों में समूहों का खाते खोले गये।
3. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जानकारी के साथ ही दस्तावेजों को भरने की जानकारी।
4. एक मत होकर सामूहिक खेती को बढावा।
5. जैविक प्रमाणीकरण हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ।

बकरी पालन परियोजना

सेवा टी0 एच0 डी0 सी लिमिटेड द्वारा टिहरी डैम प्रभावित क्षेत्र में बकरी पालन परियोजना के संचालन हेतु अपने पत्र सॅख्या 265 दि0 15.11.2010 के माध्यम से अपनी स्वीकृत्ति प्रदान की गई संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति द्वारा डैम प्रभावित क्षेत्र ब्लाक प्रताप नगर व उत्तरकाशी जिले के डुण्डा ब्लाक में उपरोक्त परियोजन के संचालन हेतु 30 गॉवों का चयन किया गया ।बकरी पालन परियोजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य निम्नलिख्ति हे।

- बकरी पालन परियोजना हेतु 30 स्वयं सहायता समूहों का गठन करना।
- प्रत्येक समूह का बैंक में खाता खोलकर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- बकरी पालन हेतु प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में 50 बकरियों की 1 यूनिट लगाना।

- प्रत्येक परिवार की बकरी पालन के माध्यम से आय में वृद्धि करना।

सॅस्था द्वारा बकरी पालन परियोजना के अंतर्गत अब तक निम्न कार्य किये गये हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

1. बकरी पालन परियोजना के अंतर्गत 30 गॉवों का चयन।
2. चयनित गॉवों में 30 स्वयं सहायता समूहों का गठन।
3. 30 स्वयं सहायता समूहों का बैंक से खाता खोलना।
4. ऋण उपलब्ध कराने हेतु 10 समूहों की औपचारिकतायें पूर्ण।
5. प्रत्येक माह कार्यकर्त्ताओं द्वारा समूहों की बैठक।
6. समूहों को लेखांकन व समूह अवधारणा हेतु प्रशिक्षण सम्पन्न।

सेवा टी0 एच0 डी0 सी0 के माध्यम से मानसिक व कान गला रागियों हेतु जिला अस्पताल बोराडी में विकलॉग कैम्पों का आयोजन

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति,रानीचौरी द्वारा सेवा टी0 एच0 डी0 सी0 के माध्यम से विकलॉग कैम्पों का आयोजन जिला अस्पताल बौराडी में किया गया। उत्राखण्ड का जनपद टिहरी गढ्वाल में मानसिक व कान गला हेतु डाक्टर की व्यवस्था नहीं है जिस हेतु बाहर से विकलॉगों के प्रमाण – पत्र बनाने हेतु डाक्टर को बुलाना होता है इसलिये संस्था ने मानसिक व कान गला विकलॉगों हेतु कैम्प लगाने हेतु टी0 एच0 डी0 सी0 से सहयोग लिया व टिहरी जनपद के प्रत्येक ब्लाक हेतु कैम्पों का आयोजन किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सॅख्या	कैम्प की तिथि	कुल विकलॉग प्रमाण – पत्र	उपस्थित डाक्टर
01	13 अप्रैल 2010	42	डा0 जे0 एस0 बिष्ट डा0 पीयूष त्रिपाठी
02	11 मई 2010	32	डा0 जे0 एस0 बिष्ट डा0 इपीयूष त्रिपाठी
03	13 जुलाई 2010	44	डा0 जे0 एस0 बिष्ट डा0 पीयूष त्रिपाठी
04	09 अगस्त 2010	26	डा0 जे0 एस0 बिष्ट डा0 पीयूष त्रिपाठी

प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को मानसिक व कान गला के रोगियों की निःशुल्क जॉच की जाती है व साथ ही दवाइयॉ भी वितरित की गई, व विकलॉग प्रमाण–पत्र बनाये गये विकलॉगों को निम्न सुविधायें उपलब्ध कराई गई।

- मानसिक विकलॉगों हेतु ब्लाक मुख्यालय से आने जाने की व्यवस्था।
- मानसिक विकलॉगों हेतु कैम्प के बारे में प्रचार प्रसार करना।
- मानसिक विकलॉग हेतु साइक्लोजिस्ट व हियरिंग एक्सपर्ट व मस्तिष्क एवं मनोरोग विशेषज्ञ व ईएनटी की उपलब्धता।

जनपद में आने वाले मानसिक व कान गला के रोगियों की रहने व भोजन की व्यवस्था।
विकलॉगों हेतु भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा चलाये जा रही योजनाओं की प्रति आने वाले विकलॉगों को उपलब्ध कराना।

उपरोक्त कैम्पौं के आयोजन से विकलॉगों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध हुई मानसिक विकलॉगों व कान गला रागियों को पहले प्रमाण पत्र बनाने हेतु अन्य स्थानों पर जाना होता था लेकिन इन कैम्पों के आयोजन से उनको यह सुविधायें नजदीक ही उपलब्ध हुई हैं।

नॉबार्ड द्वारा वित्त पोषित बैणियों की सौगात दुकान

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति द्वारा टिहरी जनपद के ब्लाक चम्बा,थौलदार व प्रतापनगर में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, व उनके कलस्टर व फैडरेशन बनाये गये हैं संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति द्वारा नॉबार्ड की वेन्चन कैपिटल सपोर्ट के अंतर्गत आउटलेट परियोजना के अंतर्गत संस्था द्वारा बनाये गये कलस्टर राड्स महिला चेतना कलस्टर हेतु उपरौकत परियोजना के अंतर्गत नॉबार्ड को आवेदन किया गया, नाबार्ड द्वारा अपने पत्र सॅ0 आर0एम 03 दि0 26.5.2009 के माध्यम से उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत्ति प्रदान की गई, ताकि विपणन केन्द्र स्थापित करने में आने वाली प्रारम्भिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिये उक्त राशि का प्रयोग कर सके।

समूह की महिलाओं द्वारा गॉव – गॉव से स्थानीय स्तर का उत्पाद खरीदकर उपरोकत दुकान के माध्यम से बेचा जाता है।

आई0सी0ए0एम0टी0 व यूनिडो के सहयोग से उधमिता विकास के लिये नई दिशा आधारित कम लागत के भवनों के निर्माण सामग्री पर प्रशिक्षण।

सॅस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति द्वारा आईसीएमएटी व यूनिडो के सहयोग से स्थान लम्बगॉव व ब्लाक सभागार छाम में 2 प्रशिक्षण उधमिता विकास के लिये नई दिशा आधारित कम लागत के भवन सामग्री पर प्रशिक्षण दिया गया जिसके अंतर्गत हॉलो ब्लाक्स ईटों का निर्माण करना सिखाया गया।उसके साथ ही बरसाती पानी के टैंकों का निर्माण व कम लागत के शौचालयों का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया,साथ ही प्रैक्टिकल भी करवाया गया इस अवसर पर बताया गया कि मिस्त्री नई दिशा आधारित भवन सामग्री के माध्यम से पलायन को रोककर ऑर्थिक समृद्धि कर सकते है। कार्यक्रम के यूनिडो दिल्ली के प्रमुख बलानी जी ने कहा कि इस प्रकार के भवन से भवन को नई तकनीक के माध्यम से भूकम्प अवरोधी बनाकर क्षेत्र के लोगों को उधमी बनाकर यहॉ के युवाओं को पलायन से रोक सकते हैं

निःशुल्क विकलॉग विश्राम गृह की स्थापना

टिहरी जनपद का मुख्यालय नई टिहरी में स्थित है व अधिकतर सरकारी विभागों के मुख्यालय नई टिहरी में स्थित है, व विकलॉगजनों को अपने कार्य हेतु नई टिहरी आना होता है जिसमें कि उन्हें अनेक दिक्कतों का सामना करना होता है व रूकने हेतु पैंसे इत्यादि देने होते है।संस्था ने यह बात जिला प्रशासन के समक्ष रखी व महसूस किया , व जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें अपनी सहमति दी व जिला प्रशासन व स्वास्थय विभाग के सहयोग से जिला विकलॉग एवं पुर्नवास केन्द्र, बौराडी में 10 बैड बिस्तर आदि उपलब्ध कराये गये जहॉ पर विकलॉगजन जब दूर दराज से आते हैं तो उनके रूकने हेतु मुफ्त व्यवस्था जिला विकलॉग एवं पूर्नवास केन्द्र बौराडी में उपलब्ध है।